न्यायकि प्रक्रयिा में मध्यस्थता

प्रलिमि्स के लयि:

मध्यस्थता, सुप्रीम कोर्ट, मध्यस्थता, बातचीत, सुलह, मध्यस्थता से संबंधति वभिन्नि कानून।

मेन्स के लयि:

ववािद नवािरण तंत्र, मध्यस्थता प्रक्रयिा, इससे संबंधति कानून, मुद्दे और आगे का रास्ता।

चर्चा में क्यों?

मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायकि सम्मेलन को संबोधति करते हुए राष्ट्रपति ने न्यायकि प्रक्रयिा में मध्यस्थता की अवधारणा की वकालत की।

मध्यस्थता क्या है?

- मध्यस्थता एक स्वैच्छकि, बाध्यकारी प्रक्रयिा है जसिमें एक नष्पिक्ष और तटस्थ मध्यस्थ ववािदति पक्षों के बीच समझौता कराने में मदद करता है।
- मध्यस्थ ववािद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक **अनुकूल वातावरण बनाता है जसिमें ववािदति पक्ष अपने सभी ववािदों को हल** कर सकते हैं।
- मध्यस्थता ववािद समाधान का एक **आजमाया हुआ और परखा हुआ वैकल्पकि** तरीका है। यह **दलि्ली, रांची, जमशेदपुर, नागपुर, चंडीगढ़ एवं औरंगाबाद** शहरों में सफल साबति हुआ है।
- मध्यस्थता एक संरचति प्रक्रयिा है जहाँ एक तटस्थ व्यक्ति विशिष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करता है तथा मध्यस्थता प्रक्रयिा में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्पष्ट रूप से इसका समर्थन कयिा जाता है।
- यह एक नपिटान प्रक्रयिा है जसिके द्वारा ववािदति पक्ष परस्पर स्वीकार्य समझौतों पर पहुँचते हैं।
- मध्यस्थता के अलावा कुछ अन्य ववािद समाधान वधियिाँ जैसे- ववािचन (Arbitration), बातचीत (**Negotiation**) और सुलह (**Conciliation**) हैं।

मध्यस्थ कौन हो सकता है?

- कोई भी व्यक्ति जो **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** की **मध्यस्थता और सुलह परयिोजना समति (Mediation and Conciliation Project Committee)** द्वारा नरि्धारति आवश्यक 40 घंटे के प्रशकि्षण से गुज़रता है, मध्यस्थ हो सकता है।
- उसे एक योग्य मध्यस्थ के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम-से-कम दस मध्यस्थताओं, जनिके परणिामस्वरूप एक समझौता हुआ हो तथा समग्र तौर पर कम-से-कम 20 मध्यस्थताओं के रूप में हसि्सा लेने की आवश्यकता होती है।

मध्यस्थ की भूमकिा:

- **नष्पिक्ष और तटस्थ** होना।
- पार्टयिों के बीच बातचीत का प्रबंधन।
- पार्टयिों के बीच संचार की सुवधिा।
- कसिी **समझौते की बाधाओं की पहचान** करना।
- पार्टयिों के हतिों की पहचान करना।
- **समझौते की शर्तें तैयार** करना।

मध्यस्थता का महत्त्व:

- त्वरित एवं उत्तरदायी।
- किफायती।
- कोई अतिरिक्त लागत नहीं।
- सामंजस्यपूर्ण निपटान।
- उपाय एवं उपचार।
- गोपनीय एवं अनौपचारिक।
- कार्यवाही का नियंत्रण पक्षों के हाथ में।

मध्यस्थता की प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियाँ:

- **संहिताकरण की कमी: जनवरी 2020 में एमआर कृष्ण मूर्ति बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में मध्यस्थता हेतु एक समान कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान दिया था।**
- **मध्यस्थता के प्रति आशंका और जागरूकता की कमी:** कानूनी विशेषज्ञों के बीच अभी भी मध्यस्थता का पर्याप्त ढंग से स्वागत नहीं किया गया है।
  - मध्यस्थता को विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिये मध्यस्थता के लाभों से न्यायाधीशों को परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण सत्र एवं सेमिनार आयोजित किये जाने चाहिये।
- **ढाँचागत मुद्दे एवं गुणवत्ता नियंत्रण:** मध्यस्थता को बढ़ावा देने से ज़ाहिर तौर पर उन मध्यस्थता केंद्रों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, जिनमें अभी प्रशासनिक क्षमता की कमी है।
  - इससे मध्यस्थता के मूल सिद्धांत यानी विवादों के तीव्र समाधान का उल्लंघन होगा।
  - इस मुद्दे से निपटने के लिये भारत में मध्यस्थता की प्रक्रिया को पेशेवर बनाया जाना चाहिये।
- **मध्यस्थता को लेकर मौजूदा कानूनों के बीच असंगति:** सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि 'मध्यस्थता' और 'सुलह' शब्द एक-दूसरे के समानार्थक हैं।
  - इसके विपरीत नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 89 की भाषा दर्शाती है कि इस धारा के पीछे विधायी मंशा 'मध्यस्थता' और 'सुलह' के बीच अंतर करना था।
  - इस प्रकार मौजूदा अस्पष्टता ने मध्यस्थता की प्रक्रिया में अस्पष्टता को और बढ़ा दिया है।

मध्यस्थता से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- भारत में मध्यस्थता मुख्य रूप से दो विधायी कानूनों द्वारा शासित होती है। CPC 1908 तथा **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996** (ACA)।
- कई अन्य वैधानिक प्रावधान भी हैं, जो न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिये मध्यस्थता को अनिवार्य शर्त बनाते हैं। इनमें से कुछ कानून हैं:
  - **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947**
  - **कंपनी अधिनियम, 2013**
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006**
  - **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955**
  - **विशेष विवाह अधिनियम, 1954**
  - **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016**
  - **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015**
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी ने विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता के महत्त्व को बढ़ा दिया है। महामारी की वजह से शुरू हुए मामलों का उचित समाधान एक त्वरित और प्रभावी निवारण तथा मध्यस्थता से हो सकता है।
- हालाँकि कई चुनौतियाँ हैं जो मध्यस्थता की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिये अलग-अलग मध्यस्थता नियमों के मौजूदा ढाँचे ने मध्यस्थता प्रक्रिया में अनिश्चितता में वृद्धि की है।
- इस प्रकार समाधान के लिये एक प्रभावी उपकरण के रूप में मध्यस्थता को मान्यता देने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम केवल मध्यस्थता हेतु एक कानून बनाना होगा।
  - मध्यस्थता विधेयक, 2021 को सभी हितधारकों के सभी आवश्यक इनपुट के साथ जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिये।
- कानून को प्रवर्तन और गुणवत्ता नियंत्रण की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।
- हालाँकि यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जानी चाहिये कि कानून मध्यस्थता में संलग्न पक्षों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करे।
- अधिनियम को मध्यस्थता की लचीली प्रकृति का पूरक होना चाहिये और मध्यस्थता में शामिल प्रक्रियाओं के मानकीकरण में मदद करनी चाहिये।
- इसके अलावा मुकदमेबाज़ी से पहले इसे अनिवार्य कदम बनाकर मध्यस्थता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mediation-in-judicial-process